

XXX-Part.—21

रूप क्रमांक 2

( देखिये नियम 7 )

मध्यप्रदेश शासन



## समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

ANN

क्रमांक: ~~गोपाल हीराबाद संवाद~~, — 7319/99

यह प्रमाणित किया जाता है कि अगवती शिक्षा समिति  
 समिति जो ग्राम-मिसरोद तहसील डूडू,  
 जिला गोपाल में स्थित है, मध्यप्रदेश  
 सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( सन् 1973 का क्रमांक 44 )  
 के अधीन 30-8-99 को पंजीयित की गई है।

दिनांक तीस माह अगस्त सन् 1999



(एन. एल. सक्सेना)  
 समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार  
 समितियों के रजिस्ट्रार

*Rubi*  
**Secretary**  
 Sardar Patel Public School  
 Misrod, Bhopal

*Balita*  
**Principal**  
 Sardar Patel Public School  
 Misrod, Bhopal

23/10/99

उन्नीस क्र. पंजीयन

क्र. 56

## नियमावली

1. संस्था का नाम : भगवती शिक्षा समिति ।
2. संस्था का कार्यालय : मिसरोद तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.।
3. संस्था की स्थापना : संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भोपाल जिला म.प्र. होगा ।
4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे
- अ. बालक तथा बालिकाओं में शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार ।
- ब. बालक तथा बालिकाओं में शिक्षा के प्रति अधिक रुचि जाग्रित करना ।
- स. छात्र-छात्राओं को शिक्षित कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना ।
- द. शिक्षा-द्वारा छात्र-छात्राओं के मन में धर्म-निरपेक्ष आधुनिक युगबोध तथा विज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ।
- य. छात्र-छात्राओं को शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना ।
5. सदस्यता संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे ।
- अ. संरक्षण सदस्य : संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 11,000/- या अधिक एक पुस्तक या एक साल में देगा वह समिति का संरक्षक होगा ।
- ब. आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रुपये 5,000/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 6,000/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकेगा ।
- स. साधारण सदस्य : जो व्यक्ति रुपये 20/- प्रतिमाह या रुपये 240/- प्रतिवर्ष चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है । जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों से छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

Sardar Patel Public School  
Misrod, Bhopal (M.P.)

Secretary  
Sardar Patel Public School  
Misrod, Bhopal